संख्या-214/2018/3591/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर 2018

विषय:- **रिट याचिका संख्या-1100/एम0एस0/2014 अभिषेक आनन्द व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य अन्य में पारित आदेश दिनांक-07.07.2014 के अनुपालन में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2385/स.क./शिक्षा-अ/02/ 1059/2018-19, दिनाक-16.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वर्ष 2013-14 के याची छात्रगणों में से पात्र पाये गये 34 छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता **रू0-33.388 लाख (रू0-तेतीस लाख अड़तिस हजार आठ सौ मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से भुगतान की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-214/2018/3591(1)/26-3-2018 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।